order Sheet [Contd]

teof Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Parties or Fleaders where necessa

12-11-16

, परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक -यंत्री / किनिष्ठ यंत्री अभूलनपुसिंहत उनके अधिवक्ता श्री एक्ने॰-श्रीवान्ति उप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री साउभागाला

उप0/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम

का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री /किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर विदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा दिद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे!

4914 30

डी०सी०थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0-19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

ग्रीहेद जिला भिण्ड